राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता

जनवरी सन् को विश्व का एक प्राचीन राष्ट्र राज्य में .ई 1950 रूपान्तरित हुआ यद्यपि यह इस राष्ट्र का अवमूल्यन था क्योंकि राष्ट्र का राज्य बनना उसके महत्त्व को कम करने जैसा ही था। इसे इस देश की पैंतीस करोड़ जनता ने तब भी और आज भी यह मान कर स्वीकार किया कि पूरेदेश में बिना भेद भाव के समान रूप से सन्तुलित विकास होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे पं नेहरू ने यूरोप के पुस्तकालयों एवं आनन्द भवन की कोठरियों में बैठकर .'भारत की खोज')डिस्कवरी ऑफ इण्डिया(की थी, उस भारत में गाँवों के भारत की कल्पना ही नहीं थी और पिछले साठ वर्षों में यही हुआ। आजादी के बाद विकास तो अवश्य हुआ लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों तक नेहरू परिवार की विरासत अथवा कुछ केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों या राज्य सरकारों के मुखिया से जुड़े क्षेत्रों तक। यही कारण है कि आजादी के साठ वर्ष बीत जाने के बावजूद जहाँ भारत की 70- प्रतिशत जनता मूलभूत सुवि 75धाओं से कोसों दूर है, वहीं भौतिक विकास के नाम पर भारी असन्तुलन की स्थिति भी पैदा हुई है। इस असन्तुलित विकास ने तमाम क्षेत्रों में असन्तोष पैदा किया है। इस असन्तोष ने कहींकहीं अलगाववादी रुख भी - अख्तियार किया है। यहीं से प्रारम्भ हुई सुरक्षा एवं विकास की छोटी इकाई गठित करने की मानसिकता अर्थात् छोटे छोटे राज्यों की माँग। यह माँग कुछ क्षेत्रों में- "सुरक्षा एवं विकास" को लेकर थी तो कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि राज्यों का पुनर्गठन "सुरक्षा एवं विकास" के मुद्दे पर अवश्य हो लेकिन भाषायी, जातीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर कदापि नहीं होना चाहिए। आजादी के समय जितने राज्य थे आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। अभी 8-वर्ष पूर्व तीन नये 9 राज्य उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ भी सृजित हुए। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के अन्दर 'पूर्वी उत्तर प्रदेश' तथा 'बुन्देलखण्ड', महाराष्ट्र के अन्दर

'विदर्भ' तथा आन्ध्रप्रदेश के अन्दर 'तेलंगाना' क्षेत्र को लेकर अलग राज्य बनाने की बात तेजी से उठी है। इससे पहले कि इस माँग का नेतृत्व गलत हाथों में जाए, सरकार को इसके औचित्य को लेकर निष्पक्षता से राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करना चाहिए। जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड को अलग राज्य के रूप में गठित करने का प्रश्न है तो यह आज की आवश्यकता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और केन्द्र सरकार ने भी इसे सैद्धांतिक रूप से ही सही, स्वीकार किया है लेकिन दोनों सरकारें इस पर गम्भीर होने के बजाय इसे राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बना रही हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपेक्षा का आलम यह है कि बुन्देलखण्ड में पिछले पाँच वर्षों में सैकड़ों किसानों ने आर्थिक तंगी एवं सरकारी कर्ज के कारण आत्महत्या की है तो इसी दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूख से सैकड़ों मौतें हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो लगभग 6- 7 करोड़ आबादी इस अंचल में निवास करती है। इतनी घनी आबादी के बावजूद अगर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो एक भी केन्द्रीय चिकित्सा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी अथवा मैनेजमेन्ट का संस्थान इस क्षेत्र में नहीं है। औद्योगिक विकास के नाम पर आजादी के पूर्व लगा चीनी उद्योग अन्तिम साँसें गिन रहा है तो आजादी के बाद लगा उर्वरक कारखाना बन्द हो चुका है। यही स्थिति अन्य उद्योगों की भी है। प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका यहाँ अपना विकराल रूप दिखाती है तो विषाणुजनित तथा जलजनित तमाम बीमारियाँ हजारों मानव जीवन को असमय काल के गाल में समा देती हैं। विश्व मानवता की आधारभूमि होने के बावजूद इसकी घोर उपेक्षा हुई। केन्द्र और प्रदेश सरकारों की उपेक्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आज तेजी के साथ नक्सलवाद पाँव फैला रहा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल जिसकी सीमा उत्तर में पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से तथा पूर्व में बिहार राज्य से मिलती है पहले से ही संवेदनशील था, इधर नेपाल के अन्दर हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद यह क्षेत्र अत्यन्त खतरनाक एवं अतिसंवेदनशील हो गया। अगर समय रहते इस क्षेत्र की सुरक्षा एवं समग्र विकास पर ध्यान नहीं

दिया गया तो इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त ही विस्फोटक हो सकती है। इससे पहले कि स्थिति विस्फोटक एवं अनियंत्रित हो, राजनीतिक दृष्टि से होशियारी इसी में है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड को अलगअलग प्रशासनिक इकाई के - रूप में मान्यता देकर नये राज्यों के पुनर्गठन को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना चाहिए। यही इस क्षेत्र के हित में है तथा यही देश के व्यापक हित में भी होगा।